

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12914/3691

दिनांक :- 11/07/2019

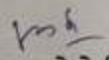
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री पूनम [लिंक न. 12914] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, श्रीगंगानगर - [32316] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 15/05/2019 से 31/05/2019 तक 17 दिवस

कुल 17 दिवस

उक्त कुल 17 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री पूनम की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12914/3691

दिनांक :- 11/07/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, श्रीगंगानगर
2. कोषाधिकारी श्रीगंगानगर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री पूनम [12914] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, श्रीगंगानगर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)